

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पच्चीस'

[4/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 3896]

परिशिष्ट- 'क'					
विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 3896 के प्रश्न 'ख' की जानकारी, जिला-सिवनी					
क्र.	विकासखण्ड / नगरपालिका	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार			शेष होने का कारण
		निवासत परिवार	पात्रपरिवार को जारी खाद्यान्न पर्ची	शेष	
1	छपारा	17595	16206	1389	अपात्र
2	कुरई	16850	16850	0	
3	लखनादौन	24505	23279	1226	
4	नगरपालिका, लखनादौन	1175	727	448	
5	सिवनी	24163	22231	1932	
6	नगरपालिका, सिवनी	4542	2701	1841	शेष अनुसूचित जाति / जनजाति परिवार में तृतीय श्रेणी से उपर के एवं आयकर दाता सम्मिलित हैं अतः आवेदन के आधार पर पात्र परिवारों को सतत प्रक्रिया के तहत पात्रता पर्ची जारी की जा रही है
	कुल	88830	81994	6836	

नोट- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार पृथक होने के कारण सतत प्रक्रिया के तहत नये परिवारों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को जाति प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र के आधार पर समग्र पोर्टल पर सत्यापित कर पात्रता पर्ची प्रदाय की जा रही है।

9/12/21
 जिला आपूर्ति अधिकारी
 सिवनी

अनुभाग अधिकारी,
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता शक्ति विभाग,
 मंत्रालय